गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 079
दि. 18.07.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

गुजरात ATS का आतंक पर बड़ा प्रहार: जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल का पर्दाफाश 5 और आतंकी गिरफ्तार; देशभर में सिलसिलेवार धमाकों की थी साजिश

अहमदाबाद। गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक सक्रिय मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये सभी आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए आतंकियों के साथ मिलकर विस्फोटक तैयार करने, उनका परीक्षण करने और देश में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रचने में शामिल थे। इस कार्रवाई के बाद अब तक इस मॉड्यूल से जुड़े कुल 13 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि समय रहते इस नेटवर्क का भंडाफोड़ होने से देश में किसी बड़े आतंकी हमले की आशंका को टालने में सफलता मिली है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिलाल आबिदभाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खली अयूब सुनसारा, शफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन करदिया के रूप में हुई है। गुजरात ATS ने इन्हें पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका स्थित खडियाल गांव सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया है कि ये सभी पाकिस्तान में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में थे और संगठन के निर्देशों के अनुसार भारत में आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे थे।

ATS के अनुसार, इन आरोपियों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश-ए-मोहम्मद के आठ सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। शुरुआती पूछताछ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एजेंसी ने इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को मेहसाणा जिले के कड़ी कस्बे स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट आर. एम. भाटिया की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 24 जुलाई

तक ATS की हिरासत में भेज दिया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी केवल आतंकी संगठन से वैचारिक रूप से जुड़े नहीं थे, बल्कि उन्होंने विस्फोटक तैयार करने और उन्हें परखने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी लिया था। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने ग्रामीण इलाकों की सुनसान जगहों पर सात से आठ बार छोटे-छोटे विस्फोट कर बम बनाने की क्षमता और अपने नेटवर्क का परीक्षण किया था। इन परीक्षणों का उद्देश्य विस्फोटकों की प्रभावशीलता को परखना और भविष्य में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की तैयारी करना था।

ATS का कहना है कि इस मॉड्यूल के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद अयूब और अमीन शेरा हैं। आरोप है कि दोनों ने विस्फोटक तैयार करने के लिए विशेष रसायन, गन पाउडर और अन्य आवश्यक सामग्री जुटाई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने इंटरनेट और आतंकी नेटवर्क के माध्यम से बम बनाने की तकनीक सीखी और बाद में उसका प्रयोगात्मक परीक्षण भी किया। एजेंसियों का मानना है कि यदि समय रहते इनकी गतिविधियों का पता नहीं चलता तो यह मॉड्यूल देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर सकता था।

जांच में एक और महत्वपूर्ण खुलासा यह हुआ है कि इस मॉड्यूल से जुड़े कुल 13 संदिग्धों में से दो आतंकी सीधे पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय 'मरकज सुभान अल्लाह' और संगठन की शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में थे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच के दौरान ऐसे कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जो पाकिस्तान स्थित संचालकों के साथ नियमित संपर्क की पुष्टि करते हैं। माना जा रहा है कि इन संपर्कों के माध्यम से आरोपियों को निर्देश, तकनीकी जानकारी और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही थी।

ATS की जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकी मॉड्यूल गुजरात में एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने की दिशा में सक्रिय था। एजेंसियों का संदेह है कि यह नेटवर्क केवल गुजरात तक सीमित नहीं था, बल्कि पड़ोसी राज्यों तक भी इसका विस्तार करने की योजना बनाई जा रही थी। इसी कारण जांच का दायरा अब अन्य राज्यों तक भी बढ़ाया गया है और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर आगे की जांच की जा रही है। लोक अभियोजक पी. आर. दंतानी ने अदालत को बताया कि आरोपियों से अभी विस्तृत पूछताछ की जानी है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि आरोपियों में से एक ने टाइम बम तैयार करने का भी प्रयास किया था। इसके अलावा बम बनाने में प्रयुक्त सामग्री, रासायनिक पदार्थ और जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित उर्दू साहित्य की बरामदगी अभी बाकी है। इन्हीं कारणों से ATS ने अदालत से आरोपियों की पुलिस हिरासत की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

गौरतलब है कि 3 जुलाई को गुजरात ATS ने गुजरात और उससे सटे मध्यप्रदेश के विभिन्न इलाकों में एक साथ अभियान चलाकर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आठ संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उस समय भी एजेंसी ने दावा किया था कि ये लोग गुजरात में आतंकी नेटवर्क तैयार करने और युवाओं को संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं गिरफ्तारियों के बाद हुई पूछताछ में इस नए मॉड्यूल का खुलासा हुआ और अब पांच और संदिग्धों की गिरफ्तारी संभव हो सकी।

सुरक्षा एजेंसियां अब गिरफ्तार आरोपियों के आर्थिक स्रोत, विदेशी संपर्क, डिजिटल संचार, बैंकिंग लेन-देन और संभावित सहयोगियों की भी जांच कर रही हैं। इसके साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस नेटवर्क को देश के भीतर किस स्तर पर मदद मिल रही थी और क्या इसके तार किसी अन्य आतंकी संगठन या मॉड्यूल से भी जुड़े हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल डेटा की गहन जांच से आने वाले दिनों में कई और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस कार्रवाई को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के वर्षों में आतंकी संगठन पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ छोटे-छोटे स्थानीय मॉड्यूल तैयार कर उन्हें स्वतंत्र रूप से सक्रिय करने की रणनीति अपना रहे हैं। ऐसे मॉड्यूल को शुरुआती चरण में ही पकड़ लेना सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जाता है। गुजरात ATS की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि आतंकी नेटवर्क लगातार नए तरीकों से सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी तकनीकी निगरानी, खुफिया सूचनाओं और समन्वित अभियान के जरिए ऐसे नेटवर्क को समय रहते ध्वस्त करने में जुटी हुई हैं।

फिलहाल गिरफ्तार सभी पांच आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर इस आतंकी मॉड्यूल के अन्य सहयोगियों, फंडिंग नेटवर्क और संभावित साजिशों का भी जल्द खुलासा हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी: मतदाता सूची से नाम कटने से नागरिकता खत्म नहीं होती, चुनाव आयोग को नहीं है नागरिकता तय करने का अधिकार

नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद नागरिकता और सरकारी अधिकारों को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हट जाने मात्र से उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं हो जाती। शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता निर्धारित करने वाला संवैधानिक प्राधिकारी नहीं है और किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास ही है। अदालत ने दोहराया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े अपने पूर्व निर्णय में भी उसने यही सिद्धांत स्पष्ट किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों को राहत देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अदालत ने कहा कि मतदाता सूची और नागरिकता दो अलग-अलग विषय हैं तथा किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना या हटना उसकी नागरिकता का स्वतः प्रमाण या खंडन नहीं माना जा सकता।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और उनकी अपीलों का निस्तारण बेहद धीमी गति से हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बीच राज्य में कई ऐसे लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से इनकार किया जा रहा है, जिनके नाम मतदाता सूची से हट गए हैं। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में भी कठिनाइयां उत्पन्न की जा रही हैं।

इन दलीलों पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने पूर्व निर्णय में यह घोषित कर चुका है कि निर्वाचन आयोग नागरिकता तय करने वाली संस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति की नागरिकता को लेकर संदेह होता है, तो वह स्वयं कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में उसे मामला नागरिकता अधिनियम के तहत निर्णय लेने के लिए संबंधित मंत्रालय या सक्षम प्राधिकारी को भेजना होगा। जब तक सक्षम प्राधिकारी कोई अंतिम निर्णय नहीं देता, तब तक संबंधित व्यक्ति की स्थिति यथावत बनी रहेगी और केवल मतदाता सूची से नाम हटने के आधार पर उसे नागरिकता से वंचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना है, जबकि नागरिकता का निर्धारण पूरी तरह अलग कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। इसलिए दोनों विषयों को एक-दूसरे का विकल्प नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष यह भी चिंता व्यक्त की कि उन्हें इस बात की आशंका नहीं थी कि मतदाता सूची से नाम हटने के बाद लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक कल्याण योजनाओं और अन्य संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित किया जाने लगेगा। इस पर पीठ ने दोहराया कि केवल मतदाता सूची से नाम हटने के आधार पर किसी व्यक्ति के अन्य कानूनी या संवैधानिक अधिकार स्वतः प्रभावित नहीं होने चाहिए। अदालत ने कहा कि जब तक नागरिकता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कोई निर्णय नहीं देता, तब तक केवल मतदाता सूची में बदलाव के आधार पर नागरिकता समाप्त मान लेना कानून की दृष्टि से उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित लगभग 33.5 लाख अपीलें अभी भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निस्तारण हो चुका है, उनमें लगभग 70 प्रतिशत दावों को स्वीकार कर लिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम प्रारंभिक स्तर पर गलत तरीके से हटाए गए हो सकते हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि जब तक लंबित मामलों का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता, तब तक प्रभावित लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य सरकारी लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस नई जनहित याचिका को विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित पहले से लंबित अन्य मामलों के साथ सुनने पर सहमति जताई है। इनमें पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका भी शामिल है। अदालत ने सभी संबंधित मामलों की अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत नागरिकों को प्राप्त समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिका में विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पर भी कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में गणना चरण के दौरान 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इसके बाद दावों और आपत्तियों के चरण में नाम जोड़ने के लिए 9.64 लाख आवेदन और नाम हटाने के लिए 99 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

एआई चैटबॉट्स पर बढ़ी सेंसरशिप की चिंता: कई देशों के शासकों की आलोचना से किया इनकार, अध्ययन में उठे अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल

वाशिंगटन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चैटबॉट्स के तेजी से बढ़ते उपयोग के बीच एक नए अध्ययन ने ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल सेंसरशिप को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेटा के स्वतंत्र ओवरसाइट बोर्ड की ओर से किए गए अध्ययन में दावा किया गया है कि कई प्रमुख एआई चैटबॉट्स ऐसे देशों के शासकों और सरकारों की आलोचना से जुड़े अनुरोधों को अस्वीकार कर रहे हैं, जहां राजनीतिक अभिव्यक्ति पर कानूनी प्रतिबंध हैं। अध्ययन के अनुसार, इस प्रवृत्ति से भविष्य में ऑनलाइन सेंसरशिप और सरकारी प्रभाव बढ़ने की आशंका पैदा हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर में एआई तकनीक का उपयोग लगातार तेजी से बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अध्ययन के दौरान जब लोकप्रिय एआई चैटबॉट 'क्लॉड' से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या ब्रिटेन के राजा चार्ल्स की आलोचना करने वाला एक पैम्फलेट तैयार करने के लिए कहा गया, तो उसने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। लेकिन जब इसी तरह का पैम्फलेट थाईलैंड के राजा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस या चीन के शीर्ष नेता के संबंध में तैयार करने को कहा गया, तो चैटबॉट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अध्ययन में कहा गया कि यह अंतर केवल एक तकनीकी व्यवहार

नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एआई के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में विकसित कई बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) और एआई सिस्टम भी उन देशों के नेताओं या सरकारों की आलोचना से जुड़े अनुरोधों को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, जहां राजनीतिक आलोचना पर कानूनी प्रतिबंध हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि यही रुझान आगे भी जारी रहता है, तो एआई आधारित चैटबॉट्स और डिजिटल सहायक अनजाने में उन सरकारी प्रतिबंधों को वैश्विक स्तर पर और मजबूत कर सकते हैं, जो पहले केवल कुछ देशों तक सीमित थे। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि एआई मॉडल विकसित करने वाली कंपनियां मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े जोखिमों का समुचित मूल्यांकन नहीं करतीं, तो भविष्य में ऐसा एआई ढांचा विकसित हो सकता है जो दुनिया भर में गैर-कानूनी या अनुचित सेंसरशिप को बढ़ावा दे। अध्ययन के अनुसार, एआई मॉडल केवल तकनीकी उपकरण नहीं रह गए हैं, बल्कि वे सूचना तक पहुंच, सार्वजनिक विमर्श और राजनीतिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण प्रणालियां बनते जा रहे हैं। इसलिए उनके डिजाइन और नीतियों का वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। यह अध्ययन ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया के कई देश एआई को लेकर नए नियम और नियामक ढांचे तैयार कर रहे हैं। सरकारें इस बात पर विचार कर रही हैं कि एआई तकनीक का विकास और उपयोग किस प्रकार किया जाए, ताकि नवाचार और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एआई प्रणालियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकारों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं होगी, तो भविष्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े नए विवाद सामने आ सकते हैं। अध्ययन की कार्यप्रणाली के तहत ओवरसाइट बोर्ड ने विभिन्न एआई चैटबॉट्स से राजनीतिक आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सात प्रकार के प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों में ऐसे अनुरोध शामिल थे, जिनमें किसी सरकार या शासक की आलोचना वाला पैम्फलेट तैयार करना, व्यंग्यात्मक कविता लिखना, विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में सामग्री बनाना और राजनीतिक अभिव्यक्ति से जुड़े अन्य कार्य शामिल थे। इस परीक्षण के लिए मेटा, एंथ्रोपिक और ओपनएआई सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के कुल 10 एआई मॉडल चुने गए और उनके उत्तरों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। अध्ययन में पाया गया कि एआई मॉडल चिली, जापान, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देशों के सार्वजनिक अधिकारियों या नेताओं की आलोचना से संबंधित सामग्री तैयार करने के प्रति अपेक्षाकृत अधिक तैयार थे। इसके विपरीत कंबोडिया, चीन, सऊदी अरब, थाईलैंड और तुर्किये जैसे देशों के संदर्भ में, जहां राजनीतिक आलोचना पर कानूनी प्रतिबंध या दंड का प्रावधान है, अधिकांश मॉडलों ने ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया या अत्यंत सीमित उत्तर दिए। रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि एआई मॉडल केवल उन देशों की सीमाओं के भीतर लागू प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहे, बल्कि कई मामलों में वे उन प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यवहार में ला रहे हैं।

मानसून सत्र पर सबकी नजर: सात बड़े विधेयकों के साथ सरकार तैयार, विपक्ष ने भी तेज किए तेवर

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद के पटल पर रखकर अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। दूसरी ओर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष भी सरकार को कई राष्ट्रीय और जनहित के मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना चुका है। ऐसे में 25 दिनों तक चलने वाला यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से तैयार अस्थायी विधायी सूची के अनुसार इस बार लोकसभा में सात महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जबकि सरकार ने सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। उधर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने भी अपनी संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और संसदीय दल की बैठकों को नया नाम 'मंगल मिलन' देने का निर्णय लिया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सरकार इस सत्र में जिन सात प्रमुख विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, उनमें वंदे मातरम् के अपमान को लेकर प्रस्तावित कानून, विदेशी अंशदान (एफसीआरए) संशोधन विधेयक, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित विधेयक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से जुड़ा विधेयक, आयकर विधेयक-2026, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक तथा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन विधेयकों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और संस्थागत व्यवस्था को अधिक

प्रभावी बनाना है।

इन सात विधेयकों में से तीन विधेयक पहली बार संसद में पेश किए जाएंगे। इनमें जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़ा नया विधेयक, वंदे मातरम् के अपमान से संबंधित प्रस्तावित कानून और एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ा विधेयक शामिल हैं। वहीं एफसीआरए संशोधन विधेयक और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पहले से लंबित हैं, जिन्हें इस सत्र में आगे बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त आयकर विधेयक-2026 और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़े विधेयक संबंधित अध्यादेशों का स्थान लेने के लिए संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे।

हालांकि सरकार की अस्थायी विधायी सूची में इस बार किसी संविधान संशोधन विधेयक को शामिल नहीं किया गया है। विशेष रूप से महिला आरक्षण लागू करने, परिसीमन अथवा अन्य संवैधानिक संशोधनों से जुड़े किसी प्रस्ताव का उल्लेख सूची में नहीं है। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि विपक्ष लंबे समय से महिला आरक्षण कानून को शीघ्र लागू करने की मांग करता रहा है। सरकार की ओर से फिलहाल इस विषय पर कोई नया विधेयक लाने के संकेत नहीं मिले हैं। संसद का मानसून सत्र इस बार कुल 25 दिनों तक चलेगा, जिसमें 19 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान सरकार अपने विधायी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, जबकि विपक्ष विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सत्र केवल विधेयकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई संवेदनशील विषयों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है।

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे इस सत्र में नीट-यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, ई-20 ईंधन नीति, विदेश नीति, मणिपुर की स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। विपक्ष का कहना है कि संसद लोकतांत्रिक जवाबदेही का सर्वोच्च मंच है और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी संसद में राम मंदिर दान प्रकरण, नीट परीक्षा विवाद और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों से जुड़े मामलों पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग दोहराते हुए कहा कि इसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ना उचित नहीं है। उनका कहना था कि संसद पहले ही महिला आरक्षण कानून पारित कर चुकी है, इसलिए इसके क्रियान्वयन में और देरी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी कहा कि विपक्ष किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए संसद में जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, महंगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को विस्तृत जवाब देना होगा।

मानसून सत्र से पहले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने भी अपनी संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, ललन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में संसद के दोनों सदनों में सरकार की रणनीति, विधेयकों को पारित कराने की तैयारी तथा विपक्ष के संभावित सवालों का जवाब देने पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस बीच एनडीए ने अपनी संसदीय दल की बैठकों को नया नाम देने का निर्णय भी लिया है। अब तक नियमित रूप से होने वाली इन बैठकों को आगे से 'मंगल मिलन' के नाम से जाना जाएगा। सूत्रों के अनुसार, चूंकि एनडीए संसदीय दल की बैठकें आमतौर पर मंगलवार को आयोजित होती हैं, इसलिए उन्हें यह नया नाम दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत पहली 'मंगल मिलन' बैठक 21 जुलाई को संसद भवन परिसर में होगी, जो मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन बाद आयोजित की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, इस नाम परिवर्तन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में भी चर्चा हुई थी और मंत्रियों को अनौपचारिक रूप से इसकी जानकारी दी गई थी।

संपादकीय

जन्मदर में गिरावट

हाल के वर्षों में भारत की आबादी से जुड़े ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत की आबादी से जुड़ा परिदृश्य एक नये दौर में पहुंच रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह सवाल उठाना पड़ा कि क्या आज भी उन कानूनों की प्रासंगिकता बनी हुई है, जिसके अंतर्गत दो से ज्यादा बच्चे होने पर लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाता रहा है। निश्चित रूप से 'दो बच्चों' से जुड़ा यह नियम उस समय बनाया गया था जब देश में तेजी से बढ़ती आबादी चिंता का सबब बनी हुई थी। लेकिन आज जनसंख्या का परिदृश्य तेजी से बदल गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो निकाय चुनावों से जुड़ा अधिक बच्चों वाला नियम अब आबादी के बदलते ट्रेंड से मेल नहीं खाता। सही मायने में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने जिन सवालों को जन्म दिया है, उसकी पुष्टि सरकार की ओर से जारी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से होती है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी –'सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट-2024' शीर्ष अदालत के नजरिये की पुष्टि करती है। रिपोर्ट बताती है कि देश की कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर घटकर 1.9 हो गई है, जो कि 2.1 के 'रिप्लेसमेंट लेवल' से कम है। देश में उत्तर भारत के छह राज्य- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ही रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर हैं। जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली- 1.2, केरल,तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (तीनों में 1.3) में प्रजनन दर देश में सबसे कम है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में प्रजनन दर अब भी अधिक है। जो आबादी की दर में बदलाव की असमान गति को ही दर्शाता है। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि की ये असमानताएं- 'सबके लिए एक ही जनसंख्या नीति' की खामियों को ही उजागर करती हैं। इस नीति की प्रासंगिकता व इस दिशा में बदलाव की जरूरत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सार भी है। ऐसे में जब भारत का एक बड़ा हिस्सा बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि के बजाय जन्म दर में गिरावट से जूझ रहा है तो परिवार के आकार के आधार पर नागरिकों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराकर दंडित करना तर्कसंगत नहीं लगता। निर्विवाद रूप से समय के साथ अप्रासंगिक हो चले ऐसे कानून गरीब और ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी को सीमित करते हैं। नीति नियंताओं को गंभीरता से मंथन करना चाहिए कि मौजूदा जनसांख्यिकीय लाभांश-यानी आर्थिक विकास को गति देने वाली बड़ी कामकाजी आबादी हमेशा हमारी उपलब्धि नहीं बनी रहेगी। जनसंख्या की दर में मौजूदा गिरावट के चलते आने वाले दशकों में बुजुर्गों की आबादी का हिस्सा बढ़ता जाएगा। ऐसे में कम प्रजनन दर वाले राज्यों को बढ़ती उम्र वाली आबादी के आधिक्य के चलते श्रमशील आबादी की कमी और बढ़ते सामाजिक सुरक्षा बोझ के लिये तैयार रहना होगा। वहीं दूसरी ओर उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों को युवा आबादी को उत्पादक मानव पूंजी में बदलने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण और रोजगार सृजन में निरंतर निवेश करने की जरूरत है। निस्संदेह, अब वक्त आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के पुराने उपायों को साक्ष्य आधारित, क्षेत्र-विशिष्ट जनसांख्यिकीय नीतियों से प्रतिस्थापित किया जाए। सही मायने में जनसंख्या पर विमर्श को अब केवल संख्या नियंत्रण तक सीमित न रखकर, हमें निष्पक्षता और दूरदर्शिता के साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तन के प्रबंधन की ओर ले जाना होगा। अकसर दक्षिण भारत के राज्य आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय सरोकारों के लिये ईमानदारी से जनसंख्या नियंत्रण का कार्य संपन्न किया है। लेकिन उन्हें आज इसकी कीमत घटी दर पर मिलने वाले वित्तीय संसाधनों के रूप में चुकानी पड़ रही है। उनका आरोप रहता है कि जनसंख्या नियंत्रण की अनदेखी करने वाले उत्तरी राज्यों को केंद्र से अधिक वित्तीय संसाधनों का आवंटन किया जाता है। हाल ही में महिला आरक्षण लागू करने में परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों के मुखर विरोध को इसी आलोक में देखा जाना चाहिए।

खतरनाक वायरसों से निपटेगी एआई निर्मित वैक्सीन

> शोधकर्ताओं ने पाया कि वैक्सीन ने कई प्रकार के कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया। खास बात यह है कि परीक्षण में शामिल वॉलंटियर ने सार्स और उससे जुड़े बैट कोरोना वायरस के खिलाफ भी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किए, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वे भविष्य में जानवरों से इंसानों में आ सकते हैं।

हंता वायरस और इबोला जैसे खतरनाक वायरसों के मामले सामने आने के बाद लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक समग्र और प्रभावी वैक्सीन का विकास बहुत आवश्यक हो गया है। अभी दशकों से वैज्ञानिक वैक्सीन के विकास में ज्यादातर एक ही पैटर्न का अनुसरण करते आ रहे हैं। जब एक खतरनाक वायरस सामने आता है तो वैज्ञानिक उसे पहचान कर एक वैक्सीन बनाते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को अब लगता है कि उन्होंने शायद वैक्सीन विकास के उस मॉडल को उलटने का एक तरीका ढूंढ़ लिया है। एक समग्र वैक्सीन की तलाश कर रहे वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से एक वैक्सीन डिजाइन की है।

शोधकर्ताओं का दावा है कि दुनिया में पहली बार एआई का इस्तेमाल करके बनाई गई पूरी तरह से नई वैक्सीन में कई तरह के वायरस के खिलाफ काम करने और दुनिया को भविष्य में होने वाली महामारी से बचाने की क्षमता है। इस वैक्सीन ने शुरुआती मानव सुरक्षा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे उम्मीद जगी है कि भविष्य की वैक्सीन न सिर्फ जाने-पहचाने वायरसों से बल्कि उनके नए वेरिएंट और उन रोगाणुओं से भी बचा सकती हैं जो अभी सामने आने वाले हैं। यह सफलता एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो एआई का इस्तेमाल करके एक ऐसी तत्व को डिजाइन करती है जिसे शोधकर्ता 'सुपर-एंटीजन' कहते हैं। यह वैक्सीन का मुख्य हिस्सा है जो इम्यून सिस्टम को संक्रमण को पहचानने और उससे लड़ने के लिए प्रशिक्षित करता है। किसी एक वायरस की किस्म को लक्षित करने के बजाय, इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य वायरस के पूरे परिवारों से सुरक्षा प्रदान करना है।

अभी प्रचलित वैक्सीन आमतौर पर वायरस के मौजूदा संस्करण का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। निःसंदेह इस तरीके से लाखों जानें बची हैं, लेकिन इस विधि की कुछ कमियां भी हैं। इन्फ्लूएंजा और सार्स-कोव-2 जैसे वायरस लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, जिससे विज्ञानियों को नए स्ट्रेन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वैक्सीन को बार-बार अपडेट करना पड़ता है।

कैम्ब्रिज टीम ने एक अलग रास्ता अपनाया। दुनिया भर के निगरानी कार्यक्रम से इकट्ठा किए गए आनुवंशिक डेटा का इस्तेमाल करके शोधकर्ताओं ने विभिन्न कोरोनावायरस से मिली जानकारी को मशीन-लर्निंग सिस्टम में डाला। एआई ने वायरस के फीचरों का विश्लेषण किया और उन तत्वों की पहचान की जिनके रोगाणुओं के विकसित होने पर बदलने की संभावना सबसे कम थी। फिर टीम ने एक एंटीजन डिजाइन किया जो किसी एक खास स्ट्रेन के बजाय कई तरह के मिलते-जुलते वायरस के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न कर सकता है। पहले मानव परीक्षण में 39 स्वस्थ वॉलंटियर शामिल थे और इसे खास तौर पर यह पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं। शोधकर्ताओं ने पाया कि वैक्सीन ने कई प्रकार के कोरोनावायरस के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया। खास बात यह है कि परीक्षण में शामिल वॉलंटियर ने सार्स और उससे जुड़े बैट कोरोनावायरस के खिलाफ भी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किए, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वे भविष्य में जानवरों से इंसानों में आ सकते हैं। हालांकि, शोधकर्ताओं ने चेताया है कि अब तक देखा गया इम्यून रिस्पॉन्स मामूली रहा है और असल दुनिया में सुरक्षा के बारे में कोई भी नतीजा निकालने से पहले बहुत बड़े अध्ययन की जरूरत है। वैज्ञानिकों का एक अन्य दल वायरसों को लक्षित करने के लिए साउंड वेव का इस्तेमाल कर रहा है। ये साउंड वेव मेडिकल स्कैन में पहले से इस्तेमाल हो रही हैं। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि किस तरह अल्ट्रासाउंड के ब्लास्ट इन्फ्लूएंजा ए और सार्स-कोव-2 को विखंडित कर सकते हैं, जो कोविड-19 का कारण बनता है। प्रयोग से पता चला है कि अल्ट्रासाउंड वेव से होने वाले सूक्ष्म कंपन वायरस के कणों के आसपास की झिल्लियों को तोड़ने के लिए काफी हैं, जिससे वायरस निष्क्रिय हो जाते हैं। बाजील में साओ पाउलो यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इस रिसर्च का नेतृत्व किया है।

टीम में शामिल वैज्ञानिकों को यकीन है यह तरीका एक दिन ऐसे वायरस के लिए एंटीवायरल और केमिकल डिसइंफेक्टेंट का विकल्प बन सकता है, जिनकी बाहरी झिल्ली कमजोर होती है। ये प्रयोग अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली अल्ट्रासाउंड मशीनों के साथ किए गए, जिसमें वायरस 3–20 मेगाहट्र्ज रेंज में अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आए। शोधकर्ताओं ने भौतिक बदलावों के स्नैपशॉट लिए और फिर टेस्ट किया कि क्या ट्रीट किए गए सार्स-कोव-2 सैंपल अभी भी मेजबान कोशिकाओं के लैब मॉडल को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस की बाहरी परत के नष्ट होने के साफ सबूत मिले और इसके बाद सार्स-कोव-2 की मॉडल मेजबान कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता तेजी से कम हो गई। दरअसल, यह तरीका अकूस्टिक रेजोनेंस (ध्वनिक प्रतिध्वनि) पर निर्भर करता है। इसमें अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी और वायरस कणों का आकार दोनों मायने रखते हैं। इसके पीछे विचार यह है कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी वायरस के आवरण की प्राकृतिक कंपन फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है, जिससे प्रवर्धित कंपन होते हैं जो इसे नष्ट कर देते हैं। असल में सिर्फ वायरस ही साउंड वेव की एनर्जी पर रिस्पॉन्ड करता है, मेजबान कोशिकाओं पर नहीं। टेस्ट की गई कंडीशन में वायरस के कण आसपास की कोशिकाओं की तुलना में कहीं ज्यादा कमजोर दिखे। टीम को उम्मीद है कि उनका नया तरीका दूसरे वायरल इन्फेक्शन पर भी काम करेगा, और उन्होंने पहले ही यह जांच शुरू कर दी है कि डेंगू, ज़ीका और चिकनगुनिया को उसी तरह कैसे टारगेट किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड आम तौर पर दर्द रहित होता है और इस्तेमाल में आसान होता है। इसे ठीक से लक्षित किया जा सकता है। इसी वजह से शोधकर्ता इसका इस्तेमाल करने के कई नए तरीके खोज रहे हैं, जिनमें दिमाग में दर्द से राहत और कैंसर का इलाज शामिल है। नई खोज रोमांचक है, लेकिन यह अभी इलाज नहीं है। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी को और बेहतर बनाने के अलावा अभी भी बहुत काम करना बाकी है। यह स्टडी जानवरों या इंसानों पर किसी प्रयोग के बजाय लैब टेस्ट तक सीमित थी और सिर्फ दो अलग-अलग तरह के वायरसों पर की गई थी। यह महज एक शुरुआत है लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने खतरनाक वायरसों से निपटने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश किया है।

प्रेरणा

जब विश्वास डगमगाता है, तब कृपा भी ठहर जाती है

मनुष्य के जीवन में आस्था और संशय दो ऐसे भाव हैं, जो हर कदम पर उसके साथ चलते हैं। कभी परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल होती हैं कि ईश्वर पर विश्वास सहज बना रहता है, तो कभी विपरीत समय ऐसा आता है कि वही विश्वास डगमगाने लगता है। वास्तव में आस्था केवल मंदिर में दीप जलाने, पूजा-पाठ करने या भजन गाने का नाम नहीं है। सच्ची आस्था तब प्रकट होती है, जब जीवन कठिनाइयों से घिरा हो, अपमान मिल रहा हो, संसार विरोध में खड़ा हो और फिर भी मन यह कह सके कि "मेरा प्रभु मेरे साथ है।" यही विश्वास भक्त और भगवान के संबंध की सबसे बड़ी कसौटी होता है।

शास्त्रों में एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग आता है, जो हमें बताता है कि ईश्वर अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, किंतु साथ ही यह भी सिखाता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अटूट विश्वास बनाए रखना कितना आवश्यक है।

एक दिन द्वारका में भगवान श्रीकृष्ण भोजन करने के लिए बैठे ही थे। महल में अत्यंत शांत वातावरण था। रुक्मिणी जी स्वयं प्रेमपूर्वक भगवान को भोजन परोस रही थीं। तभी अचानक श्रीकृष्ण का मुखमंडल बदल गया। बिना कुछ कहे वे तत्काल भोजन का आसन छोड़कर तेज़ी से महल के मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि रुक्मिणी जी भी कुछ समझ नहीं सकीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही क्षणों बाद श्रीकृष्ण वापस लौट आए। उनके चेहरे पर पहले जैसी प्रसन्नता नहीं थी, बल्कि एक गंभीर और उदास भाव दिखाई दे रहा था। वे पुनः भोजन करने बैठ गए, मानो भीतर कोई गहरी बात चल रही हो।

रुक्मिणी जी इस रहस्य को समझ नहीं सकीं। उन्होंने विनम्रता से पूछा, "प्रभु! अभी कुछ क्षण पहले आप इतनी शीघ्रता से बाहर क्यों गए थे? और फिर अचानक लौटकर इतने शांत और उदास क्यों हो गए?"

भगवान श्रीकृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, "मेरा एक परम भक्त इस समय राजधानी से होकर गुजर रहा था। वह अपने हाथ में एकतारा लिए प्रेम और भक्ति में डूबकर मेरा नाम गा रहा था। उसकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि उसे संसार की कोई सुध नहीं थी। लेकिन नगर के कुछ लोग उसे पागल समझ बैठे। वे उसका उपहास करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और फिर उस पर पत्थर बरसाने लगे। उसके शरीर पर चोटें लगने लगीं, माथे से रक्त बहने लगा। अपने भक्त की यह पीड़ा देखकर मैं उसकी रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ा।"

रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, "यदि ऐसा था, तो फिर आप उसकी सहायता किए बिना क्यों लौट आए?"

श्रीकृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, "जब मैं महल के द्वार तक पहुंचा, तब मैंने देखा कि उस भक्त ने अपना एकतारा नीचे रख दिया है। उसने स्वयं भी पत्थर उठा लिए और अपने ऊपर आक्रमण करने वालों को उत्तर देने के लिए तैयार हो गया। उसी क्षण मुझे लगा कि उसने अपनी रक्षा का भार स्वयं अपने हाथों में ले लिया है। जब मनुष्य स्वयं ही सब कुछ संभालने का निर्णय कर लेता है, तब भगवान पीछे हट जाते हैं। यदि वह कुछ क्षण और धैर्य रखता, अपना विश्वास बनाए रखता और मुझे समर्पित रहता, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता।"

यह छोटी-सी घटना अपने भीतर अत्यंत गहरा आध्यात्मिक संदेश समेटे हुए है। भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वे उसके प्रत्येक दुख, प्रत्येक आँसू और प्रत्येक पीड़ा को जानते हैं। किंतु भगवान तभी हस्तक्षेप करते हैं, जब भक्त का विश्वास अडिग रहता है। जैसे ही मन में यह भाव आ जाता है कि अब सब कुछ मुझे ही करना है और ईश्वर पर भरोसा छोड़ दिया जाता है, उसी क्षण दिव्य सहायता का मार्ग भी संकुचित होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य को कर्म नहीं करना चाहिए। श्रीकृष्ण ने स्वयं गीता में कर्म का उपदेश दिया है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध करो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन कर्म और क्रोध में अंतर है, कर्म और प्रतिशोध में भी अंतर है। जब कर्म धर्म के लिए होता है, तब भगवान साथ होते हैं; लेकिन जब प्रतिकार अहंकार, क्रोध और आवेश से प्रेरित होता है, तब मनुष्य अपने विवेक से दूर होने लगता है।

जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लोग अपमान करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, हमारे अच्छे कार्यों का भी उपहास उड़ाते हैं। ऐसे समय मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। हम सोचते हैं कि यदि अभी उत्तर नहीं दिया, तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना ही बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति।

इतिहास और संतों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहाँ उन्होंने अपमान सहा, लेकिन अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। अंततः सत्य की विजय हुई और ईश्वर ने स्वयं उनकी रक्षा की। प्रह्लाद को अग्नि, विष और हाथियों से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी अटूट भक्ति ने भगवान नरसिंह को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। द्रौपदी ने जब तक अपनी साड़ी स्वयं बचाने का प्रयास किया, तब तक सहायता नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उसने दोनों हाथ उठाकर पूर्ण समर्पण के साथ श्रीकृष्ण को पुकारा, अनंत चीर की वर्षा होने लगी। गजेन्द्र ने भी जब अपनी सारी शक्ति खो दी और अंतर्मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया, तब भगवान सुदर्शन चक्र लेकर उसकी रक्षा के लिए स्वयं आए।

इन सभी घटनाओं का सार यही है कि भगवान को हमारी शक्ति नहीं, हमारा विश्वास प्रिय है। वे यह नहीं देखते कि हमारे पास कितना धन, ज्ञान या सामर्थ्य है। वे केवल यह देखते हैं कि संकट की घड़ी में हमारा मन किस पर टिकता है। यदि हमारा भरोसा संसार पर है, तो हमें संसार के सहारे ही चलना पड़ेगा। लेकिन यदि हमारा विश्वास भगवान पर है, तो वे असंभव परिस्थितियों में भी मार्ग बना देते हैं। आज के युग में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और तनाव के बीच मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर समस्या का समाधान केवल उसकी बुद्धि या शक्ति से नहीं होता। कई बार परिस्थितियाँ हमारी क्षमता से बाहर होती हैं। ऐसे समय धैर्य, प्रार्थना और ईश्वर पर विश्वास ही हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें, बल्कि यह कि प्रयास करते हुए भी मन में यह विश्वास रखें कि अंतिम निर्णय भगवान के हाथ में है और वही हमारे लिए सर्वोत्तम करेंगे।

यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मधुर भजन गाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वह है, जिसमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विश्वास नहीं टूटता। जब संसार पत्थर बरसाए, तब भी हृदय में प्रभु का नाम बना रहे। जब अपमान मिले, तब भी मन में कटुता न आए। जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी यह विश्वास बना रहे कि ईश्वर कहीं न कहीं हमारे लिए एक नया द्वार खोल रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर दीर्घसूत्री न्याय की विडंबना का यक्ष प्रश्न

अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस (17 जुलाई) केवल न्याय की महत्ता का स्मरण कराने का अवसर नहीं है, बल्कि यह स्वयं से एक कठिन प्रश्न पूछने का भी दिन है—क्या वर्षों बाद मिला न्याय वास्तव में न्याय कहलाता है? वाकई आज दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत में भी करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। अनेक वादियों की पूरी उम्र अदालतों के चक्कर लगाते-लगाते बीत जाती है। कई मामलों में निर्णय तब आता है जब पीड़ित या आरोपी इस दुनिया में ही नहीं रहते। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है और इस खास दिवस पर प्रासंगिक भी। आखिर हमें यह समझना ही होगा कि 21वीं सदी के भारत की न्यायिक व्यवस्था की सफलता इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि उसने कितने ऐतिहासिक फैसले दिए, बल्कि इस बात से आंकी जाएगी कि उसने आम नागरिक को कितनी जल्दी, कितनी निष्पक्षता से और कितनी कम लागत में न्याय उपलब्ध कराया। इसलिए भारत का आदर्श लक्ष्य केवल 'फास्ट जस्टिस' नहीं, बल्कि 'फेयर, फास्ट एंड अफोर्डेबल जस्टिस' होना चाहिए। यही विकसित भारत की न्यायिक पहचान होगी।

कानूनी मामलों के जानकारों के मुताबिक, दीर्घसूत्री न्याय के पीछे न्यायाधीशों की कमी, बार-बार स्थगन, जटिल कानूनी प्रक्रियाएँ, अपर्याप्त न्यायिक ढांचा और बढ़ते मुकदमों जैसी कई वजहें हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विलंबित न्याय केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्या भी बन जाता है। इससे आम नागरिक का न्यायपालिका पर विश्वास कमजोर पड़ सकता है और कई बार लोग वैकल्पिक तथा गैर-कानूनी रास्तों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं।

इस अवसर पर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है—क्या न्याय केवल सही निर्णय देने का नाम है, या सही समय पर सही निर्णय देना ही वास्तविक न्याय है? यदि न्याय समय पर नहीं मिलता, तो उसका नैतिक और व्यावहारिक महत्व दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए न्यायिक सुधार, तकनीक का बेहतर उपयोग, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, वैकल्पिक विवाद निपटान (ADR) को बढ़ावा और अनावश्यक स्थगनों पर नियंत्रण जैसी पहलें अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता हैं।

लिहाजा, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि न्याय केवल निष्पक्ष ही नहीं, त्वरित, सुलभ और प्रभावी भी होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत केवल कानून के शासन में नहीं, बल्कि समय पर मिलने वाले न्याय में निहित होती है।

सवाल है कि अपना भारत इस कसौटी पर कहां खड़ा है?

भारत की स्थिति मिश्रित है। एक ओर भारतीय न्यायपालिका विश्व की सबसे स्वतंत्र और सम्मानित न्याय प्रणालियों में गिनी जाती है, जिसने अनेक ऐतिहासिक फैसलों से संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। दूसरी ओर, त्वरित न्याय के पैमाने पर भारत अब भी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुधांशु चौधरी के अनुसार, मुख्य तस्वीर इस प्रकार है:

एक, लंबित मुकदमेः देशभर की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। इनमें बड़ी संख्या जिला न्यायालयों में है, जबकि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबित मामलों का बोझ बना हुआ है।

दो, न्याय मिलने में लंबा समयः भूमि विवाद, दीवानी मुकदमे, पारिवारिक विवाद और कई आपराधिक मामलों में अंतिम निर्णय आने में वर्षों, कभी-कभी दशकों तक लग जाते हैं।

तीन, अंडरट्रायल कैदीः भारतीय जेलों में बड़ी संख्या ऐसे कैदियों की है जिनका मुकदमा अभी पूरा नहीं हुआ है। यह "शीघ्र न्याय" की कसौटी पर एक गंभीर चुनौती है।

चार, सुधार के प्रयासः ई-कोर्ट परियोजना, वर्चुअल सुनवाई, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG), फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालतें और मध्यस्थता (Mediation) जैसे कदम उठाए गए हैं, जिनसे कुछ क्षेत्रों में सुधार भी हुआ है।

इसलिए सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि क्या भारत में न्यायालयों का उद्देश्य केवल न्याय देना है, या समय पर न्याय देना भी उतना ही आवश्यक है? जब एक पीढ़ी मुकदमा दायर करे और दूसरी पीढ़ी फैसला सुने, तो लोकतंत्र में न्याय की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

सुलगता सवालः न्याय में गुणवत्ता और निष्पक्षता बनाए रखते हुए न्याय की गति कैसे बढ़ाई जाए?

आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि "न्याय में गुणवत्ता और निष्पक्षता बनाए रखते हुए न्याय की गति कैसे बढ़ाई जाए?" यही वह कसौटी है, जिस पर आने वाले वर्षों में भारतीय न्यायपालिका की सफलता का वास्तविक आकलन होगा।

चूंकि, यह भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा सुधारात्मक प्रश्न है। इसलिए इसका उत्तर केवल अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने में नहीं, बल्कि व्यापक न्यायिक सुधारों में निहित है।

पहला, न्यायाधीशों और न्यायालयों की संख्या बढ़ेः जनसंख्या और मुकदमों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त न्यायाधीश तथा आधुनिक न्यायालय स्थापित किए जाएँ।

दूसरा, समयबद्ध सुनवाई की संस्कृति विकसित होः अनावश्यक स्थगनों (Adjournments) पर अंकुश लगे और प्रत्येक मुकदमे के लिए यथासंभव समय-सीमा निर्धारित की जाए।

तीसरा, तकनीक का व्यापक उपयोगः ई-फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, एआई आधारित केस मैनेजमेंट और वर्चुअल सुनवाई का विस्तार किया जाए ताकि प्रशासनिक देरी कम हो।

चौथा, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावाः लोक अदालत, मध्यस्थता (Mediation) और पंचाट (Arbitration) के माध्यम से छोटे और दीवानी विवाद अदालतों के बाहर ही सुलझाए जाएँ।

पांचवां, रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्तिः उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबे समय तक रिक्त रहने वाले न्यायिक पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।

छठा, न्याय की गुणवत्ता से समझौता नहींः त्वरित न्याय का अर्थ जल्दबाजी में निर्णय नहीं होना चाहिए। प्रत्येक पक्ष को सुनने, साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच और कारणयुक्त निर्णय की परंपरा बनी रहनी चाहिए। सातवां, पुलिस और अभियोजन तंत्र में सुधारः यदि जांच समयबद्ध, वैज्ञानिक और निष्पक्ष होगी, तो अदालतों में मुकदमों का निपटारा भी अधिक प्रभावी होगा।

अभियान

मौन की शक्ति: जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वहीं से आत्मबोध की यात्रा आरंभ होती है

आज का मनुष्य पहले से कहीं अधिक बोलता है, लेकिन पहले से कहीं कम सुनता है। उसके पास संवाद के अनगिनत साधन हैं, परंतु स्वयं से संवाद करने का समय नहीं है। मोबाइल की घंटियाँ, सोशल मीडिया की सूचनाएँ, चौबीसों घंटे चलने वाली बहसें, कार्यालय का तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और भविष्य की चिंताएँ—इन सबने मनुष्य के जीवन को निरंतर शोर से भर दिया है। इस शोर में वह दूसरों की आवाज़ तो सुन लेता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की पुकार नहीं सुन पाता। यही कारण है कि सुविधाएँ बढ़ने के बावजूद मानसिक अशांति, तनाव, अवसाद और असंतोष भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय संस्कृति एक ऐसा मार्ग दिखाती है, जो न केवल मन को शांति देता है, बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देता है। वह मार्ग है—मौन का।

मौन को सामान्यतः लोग केवल चुप रहने का नाम समझते हैं, जबकि वास्तविक मौन इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक अनुभव है। यदि कोई व्यक्ति दिनभर एक शब्द भी न बोले, लेकिन उसके मन में हजारों विचारों का तूफान चलता रहे, तो वह मौन नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति आवश्यकतानुसार बोलता है, लेकिन उसके भीतर पूर्ण शांति, संतुलन और जागरूकता है, तो वह मौन के अधिक निकट है। इसलिए मौन का संबंध वाणी से कम और चेतना से अधिक है। यह केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि मन के शोर का अंत है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा कि मौन बाहर नहीं, भीतर घटित होता है।

चुप्पी और मौन के बीच वही अंतर है जो किसी नदी की सतह और उसकी गहराई में होता है। सतह पर लहरें दिखाई देती हैं, लेकिन गहराई में पूर्ण शांति होती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। बाहर वह अनेक भूमिकाएँ निभाता है, अनेक लोगों से मिलता है, अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है, लेकिन यदि उसके भीतर मौन की गहराई है, तो बाहरी हलचल भी उसे विचलित नहीं कर पाती। यही मौन उसे स्थिरता देता है, धैर्य देता है और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है।

भारतीय दर्शन में मौन को केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार माना गया है। हमारे उपनिषदों में बार-बार यह संकेत मिलता है कि परम सत्य शब्दों की सीमा से परे है। शब्द केवल संकेत कर सकते हैं, अनुभव नहीं करा सकते। जिस सत्य का अनुभव ऋषियों ने किया, उसे वे पूरी तरह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने ध्यान, तप, एकांत और मौन को ज्ञान की सर्वोच्च साधना बताया।

जब कोई व्यक्ति मौन में बैठता है, तब उसे सबसे पहले अपने भीतर का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। प्रारंभ में उसे लगता है कि वह शांत है, लेकिन कुछ ही क्षणों में विचारों की अनगिनत लहरें उठने लगती हैं। कभी बीते हुए कल की स्मृतियाँ, कभी आने वाले कल की चिंताएँ, कभी किसी के प्रति क्रोध, कभी किसी के प्रति मोह, कभी अधूरी इच्छाएँ, कभी असफलताओं का दुख—मन लगातार बोलता रहता है। यही वह अवस्था है जहाँ अधिकांश लोग मौन की साधना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि मौन उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन वास्तव में यहीं से साधना प्रारंभ होती है। मन का शोर दिखाई देना ही जागरूकता का पहला संकेत है।

हमारे देश की महान संत परंपरा इस सत्य की साक्षी रही है। भगवान महावीर ने वर्षों तक मौन की साधना की। उन्होंने जाना कि आत्मा का प्रकाश तभी प्रकट होता है जब मन का अंधकार शांत हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तत्काल उपदेश नहीं दिए। उन्होंने कुछ समय मौन में रहकर उस अनुभव को पूरी तरह आत्मसात किया। उसके बाद उनके मुख से जो शब्द निकले, वे केवल विचार नहीं थे, बल्कि अनुभव का अमृत थे। यही कारण है कि आज भी उनके उपदेश करोड़ों लोगों को दिशा देते हैं। संत कबीरदास ने भी अपने दोहों में बार-बार संकेत दिया कि परमात्मा का अनुभव बाहरी शोर में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होता है। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करने से पहले गहन साधना की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, संत रामदास, गुरु नानक, बाबा फरीद और अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझ लेता है, वह संसार के बीच रहकर भी भीतर से अडिग रहता है।

पश्चिमी परंपराओं में भी मौन का उतना ही महत्व है। ईसा मसीह ने सार्वजनिक जीवन आरंभ करने से पहले एकांत में समय बिताया। सूफी संतों ने भी प्रेम और ईश्वर की अनुभूति के लिए मौन को आवश्यक माना। इससे स्पष्ट है कि सत्य का मार्ग किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। संसार की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा अंततः मौन की ओर ही ले जाती है।

शास्त्रों में भगवान गणेश का एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग मिलता है। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना का संकल्प लिया, तब भगवान गणेश ने उसे लिखने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। कहा जाता है कि उन्होंने सम्पूर्ण लेखन अत्यंत एकाग्रता और मौन के साथ किया। उनका ध्यान केवल लेखन पर था। न कोई व्यर्थ विचार, न कोई अनावश्यक संवाद। यह कथा हमें बताती है कि महान सृजन तभी संभव है जब मन भटकाव से मुक्त हो।

मौन की वास्तविक कठिनाई को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध सूफी कथा सुनाई जाती है। एक गुरु ने अपने चार शिष्यों को आदेश दिया कि वे एक रात पूर्ण मौन में बैठकर साधना करें। चारों शिष्य मौन धारण करके बैठ गए। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। पहला शिष्य अपने को रोक नहीं पाया और उसने सेवक से कहा, "दीपक जला दो।" दूसरे ने तुरंत कहा, "तुमने मौन तोड़ दिया।" तीसरा बोला, "तुम भी तो बोल रहे हो।" चौथा गर्व से मुस्कराया और कह बैठा, "अच्छा हुआ, मैं ही अकेला हूँ जिसने अभी तक मौन नहीं तोड़ा था।" इस प्रकार चारों का मौन भंग हो गया। यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। यह मनुष्य के अहंकार का दर्पण है। हम अक्सर दूसरों की भूलें देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि स्वयं की त्रुटियाँ दिखाई ही नहीं देतीं। मौन हमें सबसे पहले स्वयं के सामने खड़ा करता है। वह हमें बताता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारा अपना अस्थिर मन है।

आज यदि परिवारों में बढ़ते विवादों को देखा जाए, तो उनका कारण संवाद का अभाव नहीं, बल्कि असंयमित संवाद है। लोग सुनने से अधिक बोलना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात अंतिम मानी जाए। परिणामस्वरूप छोटी-सी असहमति भी बड़े विवाद में बदल जाती है। यदि ऐसे समय में कोई एक व्यक्ति भी कुछ क्षण मौन धारण कर ले, तो स्थिति बदल सकती है। मौन कई बार वह कार्य कर देता है, जो लंबे तर्क भी नहीं कर पाते।

कार्यालयों में भी यही स्थिति दिखाई देती है। क्रोध में बोले गए शब्द वर्षों की प्रतिष्ठा नष्ट कर सकते हैं। व्यापार में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भारी नुकसान पहुँचा सकता है। राजनीति में एक असावधान वक्तव्य बड़े विवाद का कारण बन सकता है। परिवार में एक कटु वाक्य रिश्तों में दरार डाल सकता है। लेकिन यदि प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण का मौन आ जाए, तो बुद्धि को सोचने का अवसर मिलता है और निर्णय अधिक संतुलित हो जाते हैं।

आधुनिक विज्ञान भी अब मौन और ध्यान के लाभों को स्वीकार कर चुका है। अनेक शोध बताते हैं कि नियमित रूप से कुछ समय शांत बैठने से तनाव कम होता है, मस्तिष्क अधिक सक्रिय और संतुलित होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और भावनात्मक संतुलन विकसित होता है। यही कारण है कि विश्व की अनेक बड़ी कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को ध्यान और माइंडफुलनेस का प्रशिक्षण देती हैं। वे समझ चुकी हैं कि बाहरी दक्षता का आधार भीतर की स्थिरता है।

मौन का अर्थ यह नहीं कि अन्याय देखकर भी चुप रहा जाए। धर्म हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े होने की शिक्षा देता है। जहाँ किसी निर्दोष पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ मौन अपराध बन सकता है। लेकिन जहाँ केवल अहंकार बोल रहा हो, जहाँ क्रोध विवेक पर हावी हो रहा हो, जहाँ शब्द केवल विवाद बढ़ा रहे हों, वहाँ मौन ही श्रेष्ठ उत्तर है। इसलिए भारतीय दर्शन कहता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है—यही वास्तविक बुद्धिमत्ता है।

मौन का अभ्यास किसी आश्रम या जंगल में जाकर ही किया जाए, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति भी इसे अपना सकता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

कुपोषण के विरुद्ध गुजरात का एक और 'पोषण प्रहार' : अब राज्य के सभी आदिजाति क्षेत्रों के ICDS ब्लॉक में पहुँची 'दूध संजीवनी योजना'

- दूध संजीवनी योजना का शेष 53 ICDS ब्लॉकों तक विस्तार करने का निर्णय
- लाभार्थियों को अधिक फैट वाला दूध देने के पायलट प्रोजेक्ट की 5 जिलों में शुरुआत
- 38 करोड़ रुपए से अधिक के प्रावधान के साथ बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को मिलेगी नई ताकत
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2009 में शुरू की गई दूध संजीवनी योजना को और गति दे रहे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : गुजरात के आदिजाति और दूरस्थ क्षेत्रों में कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 'दूध संजीवनी योजना' के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के आदिजाति क्षेत्रों के लोगों और विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार प्रयासरत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के साथ ही कुपोषण विरोधी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दूध संजीवनी योजना अब राज्य के सभी आदिजाति ICDS ब्लॉकों में लागू हो गई है।

राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव किया है, जिसके अंतर्गत आदिजाति जिलों में शेष सभी 53 ICDS ब्लॉकों में दूध संजीवनी योजना का विस्तार करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही; पहली बार योजना के लाभार्थियों के लिए हाई-फैट फोर्टिफाइड दूध के पायलट प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी गई है। परिणामस्वरूप अब आदिवासी क्षेत्रों के अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तक अधिक पौष्टिक और पोषणयुक्त दूध पहुँचेगा।

उल्लेखनीय है कि दूध संजीवनी योजना की शुरुआत 24 दिसंबर, 2009 को तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी द्वारा केवल 6 आदिजाति जिलों में प्रायोगिक रूप से की गई थी। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध दिया जाता है।

5 वर्षों में 6 से 20 जिलों तक पहुँची योजना

आँगनबाड़ी में आने वाले बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को नियमित रूप से फोर्टिफाइड दूध देकर कुपोषण की दर कम करने के मुख्य उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के सकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए योजना का लगातार विस्तार होता रहा और 5 वर्षों में योजना 6 से 20 जिलों तक पहुँच गई। योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 में अतिरिक्त 14 आदिजाति जिलों के 106 ICDS घटकों तथा 20 विकासशील तालुकाओं को शामिल किया गया। वर्ष 2016 से इस योजना में सहकारी डेयरी क्षेत्र को भी जोड़ा गया और बनास, अमूल, सुमुल, माही सहित राज्य की विभिन्न सहकारी डेयरियों द्वारा फोर्टिफाइड दूध का उत्पादन और आपूर्ति शुरू की गई। इस सहयोग के कारण योजना और अधिक सुव्यवस्थित तथा प्रभावी बनी।

वर्तमान में दूध संजीवनी योजना मुख्य रूप से राज्य के 20 जिलों बनासकाँठा, साबरकाँठा, अरवल्ली, महीसागर, पंचमहाल, दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड और डांग जैसे प्रमुख आदिजाति बहुल जिलों के अलावा कच्छ, देवभूमि द्वारका, पाटण, खेडा, जामनगर और बोटाद के चयनित विकासशील क्षेत्रों में लागू थी, लेकिन अभी भी 53 ICDS ब्लॉकों में योजना लागू नहीं थी।

शेष 53 ICDS ब्लॉकों के समावेश और फैट बढ़ाने को मंजूरी

इस दौरान ICDS आयुक्त के कार्यालय द्वारा योजना के अंतर्गत शेष 53 ICDS ब्लॉकों को शामिल करने तथा लाभार्थियों को दिए जाने वाले दूध में फैट की मात्रा 4.5 प्रतिशत (9 ग्राम) करने का प्रस्ताव किया गया। इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव जारी कर शेष 53 ICDS ब्लॉकों में दूध संजीवनी योजना लागू करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही; यह योजना अब राज्य के सभी ICDS ब्लॉकों में लागू हो गई है। राज्य सरकार के 100 प्रतिशत व्यय पर 53 ICDS ब्लॉकों में दूध संजीवनी योजना शुरू करने के निर्णय से हजारों नए लाभार्थी बच्चे और माताएँ योजना के दायरे में आएँगे तथा आदिजाति क्षेत्रों में पोषण की समान उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इतना ही नहीं; प्रस्ताव के अनुसार अब योजना में दूध की गुणवत्ता का भी नया मानदंड जोड़ा गया है। अब तक दिए जाने वाले फोर्टिफाइड दूध में 1.5 प्रतिशत फैट था। अब चयनित जिलों में अधिक वसा युक्त दूध देने का पायलट शुरू करने का निर्णय किया गया है। इसके अंतर्गत नर्मदा, दाहोद और डांग जिलों में 3 प्रतिशत फैट वाला दूध दिया जाएगा; जबकि वलसाड और साबरकाँठा जिलों में 4.5 प्रतिशत फैट वाला दूध दिया जाएगा। यह अतिरिक्त फैट बच्चों के शारीरिक विकास, ऊर्जा तथा पोषण की आवश्यकताओं को अधिक बेहतर तरीके से पूरा करने में सहायक होगा।

38.0125 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ पारदर्शिता पर बल

राज्य सरकार ने इस विस्तार के लिए लगभग रु. 37.709 करोड़ का प्रावधान किया है, जबकि हाई-फैट पायलट प्रोजेक्ट के लिए अलग से रु. 0.3035 करोड़ मंजूर किए गए हैं। यह व्यय पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहे; इसके लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन बनाया जाएगा, आवश्यक खरीद GeM पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, वित्तीय सहायता DBT पद्धति से दी जाएगी तथा समय-समय पर सोशल ऑडिट और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी अनिवार्य रहेगा। इससे योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुँचे; यह सुनिश्चित होगा।

इस प्रकार; गुजरात सरकार की दूध संजीवनी योजना केवल दूध वितरण की योजना नहीं है, बल्कि गुजरात की आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य में किया जाने वाला एक दीर्घकालिक निवेश है। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, माता और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार, आदिजाति क्षेत्रों में पोषण की समान अवसर उपलब्धता तथा सहकारी डेयरी व्यवस्था के सफल उपयोग; इन सभी बातों को एक साथ जोड़ने वाली यह योजना अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। शेष सभी ICDS ब्लॉकों तक विस्तार तथा हाई-फैट दूध के प्रयोग के साथ गुजरात सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य के किसी भी बच्चे का भविष्य पोषण के अभाव में कमजोर न पड़े; इसके लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गिफ्ट सिटी में एचसीएल टेक के ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया

गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग की दिग्गज और सबसे तेजी से विकसित हो रही कंपनी एचसीएल टेक के गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में शुरू हुए ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने इस नई शुरुआत को गिफ्ट सिटी और गुजरात के आईटी सेक्टर के विकास के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दिया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि आम तौर पर बड़ी आईटी कंपनियां दूसरे राज्यों से मैनपावर की भर्ती करती हैं, लेकिन इसके विपरीत एचसीएल टेक स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित करने और स्थानीय साझेदारों को साथ रखकर आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी की यह नीति वास्तव में प्रशंसनीय है और यह राज्य के युवाधन को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

श्री संघवी ने एचसीएल कंपनी की 'कम बैक होम' पहल की सराहना करते हुए कहा कि गुजरात के जो प्रतिभाशाली युवा रोजगार के लिए अपने परिवार और माता-पिता से दूर बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या अमेरिका जैसे स्थानों पर काम करते हैं, उन्हें वापस लाकर उनके गृह राज्य में ही रोजगार प्रदान करने की एचसीएल की पहल दूसरी कंपनियों के लिए एक उदाहरण बन गई है। इस सेंटर के माध्यम से अब गुजराती युवा अपने परिवार के साथ रहते हुए स्थानीय स्तर पर ही वैश्विक स्तर का आईटी करियर बना सकेंगे और अपने सपने साकार कर सकेंगे। प्रारंभिक चरण में इस सेंटर में 100 लोगों की टीम के साथ शुरुआत की गई है, जिनमें अधिकतर स्थानीय गुजराती युवा शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री ने एचसीएल टेक द्वारा इस सेंटर में फाइनेंस आईटी सेक्टर के अलावा स्थापित की गई अत्यंत आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) लैब को भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए गेम-चेंजर बताया।

उन्होंने गिफ्ट सिटी की स्थापना के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा कि वर्षों पहले यह एक बंजर भूमि हुआ करती थी। गिफ्ट सिटी इस बात की शानदार मिसाल है कि कैसे दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के जरिए किसी भी सपने को धरातल पर साकार किया जा सकता है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस स्थल को विश्व स्तरीय फाइनेंसियल टेक-सिटी बनाने का दूरदर्शी स्वप्न देखा था और आज उन्होंने उसे पूरा कर दिया है।

श्री संघवी ने अंत में एचसीएल कंपनी को शुभकामनाएं देते हुए अनुरोध किया कि अभी दो फ्लोर पर शुरू हुआ यह सेंटर भविष्य में और अधिक विस्तार करे और एचसीएल गुजरात में एक बड़ी यूनिट स्थापित करे।

इस मौके पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी सर्वश्री विजय कुमार, राहुल सिंह, संजय कौल और आईटी क्षेत्र के अग्रणी एवं युवा प्रोफेशनल मौजूद रहे।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित पोरबंदर रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के पोरबंदर रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न रेल अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के साथ-साथ नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

पोरबंदर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई देवाभाई मोढवाडिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर महापौर, पोरबंदर महानगरपालिका श्री सागरभाई मोदी, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बाबूभाई बोखिरिया, जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती चेतनाबेन तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शितलबेन ओडेदरा, सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे उपस्थित जनप्रतिनिधियों, रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक देखा एवं सुना। समारोह के दौरान अतिथियों ने पुनर्विकसित पोरबंदर रेलवे स्टेशन का अवलोकन किया तथा स्टेशन पर विकसित आधुनिक यात्री सुविधाओं की सराहना की।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पोरबंदर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाओं, आकर्षक वास्तुशिल्प, दिव्यांगजन अनुकूल व्यवस्थाओं, उन्नत प्रतीक्षालयों, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, सुगम आवागमन तथा स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करने वाली थीम के अनुरूप किया गया है। स्टेशन के पुनर्विकास से यात्रियों को बेहतर एवं विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

समारोह में मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा के नेतृत्व में भावनगर मंडल के सभी शाखा अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन में मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह के अंत में अतिथियों ने भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे आधारभूत संरचना विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम एवं यात्री-केंद्रित स्वरूप प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

अमृत भारत स्टेशन योजना' अंतर्गत..

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से 109 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के चार पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की वडोदरा के प्रतापनगर में प्रेरक उपस्थिति

गांधीनगर : भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से 'अमृत भारत स्टेशन योजना' अंतर्गत देश के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया।

इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत गुजरात में कुल 109 करोड़ रुपए की लागत से चार नए पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का ई-लोकार्पण किया गया, जिनमें वडोदरा का प्रतापनगर, गोधरा, पोरबंदर और भक्तिनगर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। वडोदरा मंडल के प्रतापनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहभागी हुए।

मुख्य कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रतापनगर के पुराने स्टेशन तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज नए स्टेशन के कायाकल्प को दर्शाने वाली विशेष प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया।

अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत अब प्रतापनगर, भक्तिनगर, पोरबंदर और गोधरा; इन चार नए स्टेशनों के लोकार्पण के साथ ही गुजरात में अब अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अमृत भारत स्टेशनों की कुल संख्या 22 हो गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मई-2025 में भी प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के 18 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया गया था, जिससे गुजरात में रेलवे अवसंरचना के सतत विकास और आधुनिकीकरण को नई गति प्रदान की गई थी ।

गुजरात में रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हाल में अन्य 87 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है, जो भारत की रेलवे को आधुनिक बनाने के अभियान में राज्य की अग्रणी भूमिका को और अधिक मजबूत बनाता है।

प्रतापनगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील, विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री बालकृष्ण शुक्ल, सांसद डॉ. हेमांगभाई जोशी, महापौर श्रीमती गीताबेन मकवाणा, स्थानीय पदाधिकारी एवं अग्रणी, वडोदरा महानगर पालिका के आयुक्त श्री अरुण महेश बाबू, शहर पुलिस आयुक्त श्री नरसिम्हा कोमार, वडोदरा रेलवे मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सहित रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी व नागरिक उपस्थित रहे।

दमन को मिली दिल्ली से सीधी हवाई उड़ान की सौगात

नई दिल्ली/दमन। केंद्र सरकार की क्षेत्रीय हवाई संपर्क नीति को नई गति देते हुए दमन के नमो एयरपोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए पहली सीधी व्यावसायिक उड़ान का शुभारंभ कर दिया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन-दीव के प्रशासक प्रफुल पटेल ने संयुक्त रूप से एलायंस एयर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सेवा के शुरू होने के साथ ही पहली बार दमन सीधे दिल्ली से हवाई मार्ग के जरिए जुड़ गया है, जिससे पर्यटन, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, यह उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (UDAN) के तहत देश के छोटे और उभरते शहरों को राष्ट्रीय विमानन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय का कहना है कि नई सेवा से दमन और राष्ट्रीय राजधानी के बीच यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक और तेज हो जाएगी। अब यात्रियों को सड़क या रेल के लंबे सफर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और दमन से दिल्ली की दूरी लगभग ढाई घंटे में तय की जा सकेगी। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार का उद्देश्य देश के प्रत्येक क्षेत्र को बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध कराना है, ताकि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने कहा कि दमन प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्री तटों और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। हर वर्ष यहां करीब 20 लाख पर्यटक पहुंचते हैं और दिल्ली से सीधी उड़ान शुरू होने के बाद इस संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे स्थानीय उद्योग, होटल व्यवसाय, परिवहन, छोटे व्यापारियों और सेवा क्षेत्र को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। नई उड़ान के जरिए निवेशकों, उद्यमियों और पर्यटकों के लिए दमन तक पहुंचना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगा। प्रशासक प्रफुल पटेल ने कहा कि दमन में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार काम किया जा रहा है और नमो एयरपोर्ट की शुरुआत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई उड़ान सेवा से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, नमो एयरपोर्ट का निर्माण लगभग 25 एकड़ भूमि पर किया गया है, जिस पर करीब 124 करोड़ रुपये की लागत आई है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस हवाई अड्डे का टर्मिनल प्रतिवर्ष लगभग 3.67 लाख यात्रियों की आवाजाही संभालने में सक्षम है।

पश्चिम रेलवे
सामग्री प्रबंधन विभाग
विभिन्न सामग्री आपूर्ति
ई-प्रोक्योरमेंट टेंडर अधिसूचना संख्या एस/38/2026 दिनांक 14.07.2026

क्र.नं.	निविदा संख्या	चीज़ों का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	T.O.D.
315	06265030	तांबे का संपर्क तार, 107 वर्ग मीटर।	520.1 कि.मी.	25-अगस्त-26
316	09265008	हवा कंप्रेसर	30 नंग	21-अगस्त-26
317	11265011	साथ में दिए गए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार मशीन/इक्विपमेंट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग	1 नंग	20-अगस्त-26
318	06265035	तांबे की कैटेनरी तार 65 वर्ग मीटर	475.8 कि.मी.	20-अगस्त-26
319	10265010	असंबद्ध नालीदार संपर्क तार, 150 वर्ग मीटर।	161 कि.मी.	17-अगस्त-26
320	11265013	साथ में दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार 10/3 टन कैपेसिटी वाली EOT क्रेन की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग	1 नंग	17-अगस्त-26
321	09265002A	BHEL मॉडल ट्रैक्शन मोटर पिनियन के साथ कम्प्लीट ट्रैक्शन मोटर	9 नंग	14-अगस्त-26
322	09265017	पूरा गियर व्हील और एक्सल सस्पेंशन ट्यूब असेंबली	20 सेट	14-अगस्त-26
323	23261946	LHB NAC के लिए प्राइमरी स्प्रिंग इनर	5005 नंग	12-अगस्त-26
324	06255048A	छत पर लगे एसी पैकेज	22 सेसेट	11-अगस्त-26
325	15260514A	बोगी बोल्स्टर स्प्रिंग सस्पेंशन के लिए हैंगर	10952 नंग	10-अगस्त-26
326	06261711	सीलबंद क्षैतिज स्क्रॉल कंप्रेसर	60 नंग	07-अगस्त-26

EMD, खरीद पर रोक और टेंडर की शर्तों के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in पर जाएं। 0368
हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें: X.com/WesternRly

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
निविदा आमंत्रण सूचना सं. 16/2026–27 (केवल ई–निविदा)
निविदा सं.: DFCADIEN_BWALL_26-27_16, **कार्य का नाम:** मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय परिसर, ओसीसी भवन, साबरमती, अहमदाबाद स्थित एनओसी भवन का रंग–रोगन (पेंटिंग) तथा मौजूदा परिधि (बाउंड्री) दीवार की मरम्मत एवं उसकी ऊँचाई बढाने का कार्य।'' **निविदा मूल्य:** रु. 50,92,992.55/– (जीएसटी सहित); **पूर्णता अवधि:** 03 माह; **धरोहर राशि:** रु. 1,01,900/–; **निविदा दस्तावेज की कीमत:** रु. 5,900/– (5000+18 प्रतिशत जीएसटी) रु. 5000/– (पांच हजार रुपए)+18 प्रतिशत जीएसटी=5900/– ''डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद'' के पक्ष में देय **www.ireps.gov.in** पर दिये गये पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना है; **निविदा प्रारंभ तिथि:** 23.07.2026; **निविदा बंद होने की तिथि एवं समय:** 06.08.2026 को 15:00 बजे तक; **ई–टेंडरिंग वेबसाइट पता:** **www.ireps.gov.in, www.ireps.gov.in/** इसका लिंक **www.dfccil.com** पर (आईआरईपीएस का हेल्पडेस्क: 011–23761525) ई–टेंडरिंग और डिजिटल सिग्नेचर से जुड़ें किसी भी मामले पर स्पष्टीकरण, सहायता एवं पंजीकरण के लिए हेल्पडेस्क पर संपर्क करें।; **कार्यालय पता:** कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओसीसी बिल्डिंग, 'डी' केबिन रोड, साबरमती, अहमदाबाद–380019, गुजरात; **वेबसाइट:** निविदा दस्तावेज डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट **www.ireps.gov.in, www.dfccil.com** से डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट **www.ireps.gov.in** के माध्यम से जमा किये जाने चाहिए और ऑनलाइन के अलावा अन्य माध्यम से जमा किए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुद्धिपत्र/परिशिष्ट केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर प्रकाशित किये जाएंगे।
परियोजना प्रबंधक/सिविल/एन
डीएफसीसीआईएल–अहमदाबाद

पश्चिम रेल्वे द्वारा अहमदाबाद ⇌ पटना के बीच स्पेशल ट्रेन की यात्रा बढ़ाइ जाएगी

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	चलाने के दिन	यात्रा की तारीख
09447	अहमदाबाद - पटना	बुधवार	22.07.2026
09448	पटना - अहमदाबाद	शुक्रवार	24.07.2026

ठहराव के समय और ट्रेन की बनावट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं।
ट्रेन नंबर 09447 की बढ़ाई गई यात्रा के लिए बुकिंग 18.07.2026 से सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। यह ट्रेन स्पेशल किराए के साथ स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेगी।
पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाईक और फोलो करें
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial
कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें

गुजरात लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण पहल

गुजरात में प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल रहे तेजस्वी उम्मीदवारों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे

▸▸ जीपीएससी तेजस्वी उम्मीदवारों तथा रोजगार के अवसर के बीच सेतु की भूमिका निभाएगा
▸▸ गुजरात लोक सेवा आयोग ने 'अवसर' मॉड्यूल विकसित किया
▸▸ 'अवसर' मॉड्यूल से सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी विभागों तथा प्रतिष्ठित निजी संस्थाओं में रोजगार के अवसर सृजित होंगे
▸▸ पिछले पाँच वर्षों में पूर्ण हुई वर्ग-1 एवं वर्ग-2 की 415 से अधिक भर्ती के परिणामों में असफल या प्रतीक्षा सूची के 18 हजार से अधिक उम्मीदवार इस मॉड्यूल पर आवेदन कर सकेंगे

गांधीनगर : गुजरात लोक सेवा आयोग (जीपीएससी) ने प्रतियोगी परीक्षा में असफल रहे, परंतु तेजस्वी उम्मीदवारों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध हो; इस उद्देश्य से 'अवसर' मॉड्यूल विकसित किया है। गांधीनगर स्थित गुजरात लोक सेवा आयोग के सचिव श्री सुधीर पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह महत्वपूर्ण घोषणा की। श्री सुधीर पटेल ने इस संबंध में विवरण देते हुए कहा कि जीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू तक पहुँचे उम्मीदवार प्रिलिम्स तथा मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण करके इंटरव्यू के लिए चयनित हुए होते हैं। अर्थात ऐसे उम्मीदवार भले ही अंतिम रूप से असफल रहे हों, लेकिन वे तेजस्वी अवश्य होते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए गुजरात लोक सेवा आयोग ने यह 'अवसर' मॉड्यूल विकसित किया है।

इस मॉड्यूल की पृष्ठभूमि बताते हुए श्री सुधीर पटेल ने कहा कि गुजरात तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं आदि में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों तथा ऐसी संस्थाओं को मेहनती, तेजस्वी और लगनशील उम्मीदवारों का मानव संसाधन प्राप्त हो; इस उद्देश्य से गुजरात लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणामों में असफल तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को विभिन्न मान्यता प्राप्त सरकारी क्षेत्रों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं प्रतिष्ठित निजी संस्थाओं में रोजगार के वैकल्पिक व उत्कृष्ट अवसर सरलता से उपलब्ध कराने के लिए एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा।

जीपीएससी सचिव ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की पूर्व सहमति अनिवार्य है। जो उम्मीदवार अपना विवरण जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी संबंधित संस्थाओं के साथ साझा करना चाहते हैं, उन्हें GPSC Ojas Portal - https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन सहमति देनी होगी। सुरक्षा के भाग के रूप में इस प्रक्रिया में ओटीपी की व्यवस्था की गई है। पिछले पाँच वर्षों में अर्थात 1 जुलाई, 2026 से पहले पूर्ण हुई 415 से अधिक वर्ग-1 एवं वर्ग-2 की भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम में असफल अथवा प्रतीक्षा सूची के 18 हजार से अधिक उम्मीदवार इस मॉड्यूल पर जाकर सहमति पत्र सबमिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त; भविष्य की भर्तियों में उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय ही यह सहमति देने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। जीपीएससी द्वारा प्रशासनिक, चिकित्सकीय, शैक्षणिक तथा तकनीकी कैडर के अनुसार डेटाबेस तैयार किया गया है।

उन्होंने जानकारी की सुरक्षा के संबंध में आयोग के अत्यंत सतर्क होने का आश्वासन देते हुए कहा कि उम्मीदवारों का डेटा प्राप्त करने वाली संस्था उसका उपयोग केवल रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेगी और इस डेटा की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। आयोग केवल उपयुक्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा मान्यता प्राप्त निजी कंपनियों को ही नियंत्रित एक्सेस देगा। इसके अतिरिक्त; जीपीएससी केवल एक 'माध्यम' के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाली नौकरी की शर्तों, वेतन अथवा कानूनी विवादों के संबंध में आयोग की कोई आधिकारिक अथवा कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी। उन्होंने उम्मीदवारों से अधिक जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का अध्ययन करने का अनुरोध किया है।

'अवसर' मॉड्यूल की महत्वपूर्ण बातें

(1) जानकारी की सुरक्षा (Data Privacy): आयोग द्वारा संस्था को उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग संस्था रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेगी तथा वह इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के साथ शेयर नहीं कर सकेगी। इसके लिए संस्था से बाध्यकारी आश्वासन लिया जाएगा तथा डेटा की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।

आयोग द्वारा उम्मीदवारों के डेटा की सुरक्षा का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत पात्र संस्थाओं के साथ उम्मीदवार का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी तथा शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी ही शेयर की जाएगी। आयोग से जानकारी प्राप्त करने के बाद संबंधित संस्था को जो उम्मीदवार उपयुक्त लगेंगे, उन्हें संस्था की भर्ती प्रक्रिया से गुजरने के बाद चयनित किया जाएगा।

(2) उम्मीदवार की पूर्व सहमति (Candidate Consent) : इस प्लेटफॉर्म पर उम्मीदवार की जानकारी उसकी इच्छा तथा पूर्व सहमति के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी। भविष्य में आने वाली नई भर्तियों के विज्ञापनों के लिए उम्मीदवार आवेदन करते समय ही GPSC-OJAS पोर्टल पर इस संबंध में ऑनलाइन सहमति दे सकेंगे।

(3) पूर्व की भर्ती के उम्मीदवारों के लिए अवसर : आयोग द्वारा आयोजित तथा पिछले पाँच वर्षों में पूर्ण हुई वर्ग-1 एवं वर्ग-2 की भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम में असफल तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवार इस योजना का लाभ लेने के लिए GPSC-OJAS पोर्टल पर 'अवसर' मॉड्यूल में जाकर ऑनलाइन सहमति पत्र सबमिट कर सकेंगे।

उम्मीदवार को विज्ञापन क्रमांक तथा कन्फर्मेशन नंबर देकर सहमति प्रदान करनी होगी। उम्मीदवार संबंधित विज्ञापन का वर्ष चयन करेगा, तो उसे उस वर्ष के सभी विज्ञापनों का विवरण उपलब्ध होगा। यदि उम्मीदवार कन्फर्मेशन नंबर भूल गया हो, तो उसका कन्फर्मेशन नंबर प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है। किसी उम्मीदवार के स्थान पर कोई अन्य उम्मीदवार यह सहमति न दे सके; इस उद्देश्य से ओटीपी की व्यवस्था की गई है। उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा तथा ओटीपी दर्ज करने के बाद ही सहमति की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

(4) पात्रता मापदंड : इस प्लेटफॉर्म पर केवल विधिवत स्थापित सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी कंपनियों को ही उम्मीदवारों की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित एक्सेस प्रदान किया जाएगा।

(5) आयोग की भूमिका : 'अवसर' अंतर्गत गुजरात लोक सेवा आयोग केवल एक 'माध्यम' के रूप में कार्य करेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाली निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी की शर्तों, वेतनमान, सेवा नियमों अथवा कानूनी विवादों के संबंध में आयोग की कोई आधिकारिक अथवा कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी।

आयोग को 'अवसर' के नियमों में किसी भी समय परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा

पात्र उम्मीदवारों से इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://gpsc.gujarat.gov.in तथा GPSC-OJAS पोर्टल देखते रहने का अनुरोध किया जाता है।

इस संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा दैनिक समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों सहित जीपीएससी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के शहरी विकास में आमूल बदलाव के लिए शुरू किए गए 'अर्बन चैलेंज फंड' से अहमदाबाद की 6 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए 2719 करोड़ रुपए स्वीकृत

इन परियोजनाओं के लिए मिलेगी केंद्रीय सहायता
▸▸ अहमदाबाद शहर के पुराने-जर्जरित सीवर नेटवर्क का पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन)
▸▸ इंटेलिजेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम
▸▸ पश्चिम जोन के लिए इंटीग्रेटेड स्लज मैनेजमेंट फैसिलिटी
▸▸ इंटीग्रेटेड ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम

अहमदाबाद शहर को मिलेंगे ये लाभ
▸▸ अहमदाबाद शहर के सीवर नेटवर्क के रिहैबिलिटेशन से सीवर के ओवरफ्लो होने तथा लीकेज जैसी समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी
▸▸ समूचे सीवर और स्टॉर्म वाटर सिस्टम की रीयल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग और स्मार्ट संचालन संभव हो पाएगा
▸▸ सीवर के स्लज से बायोगैस और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन से पर्यावरण-अनुकूल एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नागरिक-केंद्रित, तकनीक-आधारित और टिकाऊ शहरी विकास का विजन और मजबूत होगा
▸▸ अर्बन चैलेंज फंड से गुजरात को 6475 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई

गांधीनगर : केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के शहरी विकास में आमूल बदलाव के लिए शुरू किए गए अर्बन चैलेंज फंड से अहमदाबाद महानगर में 6 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए 2719.80 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं में मुख्य रूप से पश्चिम अहमदाबाद के मुख्य सीवर नेटवर्क के पुनर्वास (रिहैबिलेटेशन) के लिए 852 करोड़ रुपए, पूर्व अहमदाबाद के मुख्य सीवर नेटवर्क के पुनर्वास के लिए 551.35 करोड़ रुपए, अहमदाबाद शहर के विभिन्न इलाकों में पुराने सीवर नेटवर्क के पुनर्वास के लिए 290.24 करोड़ रुपए, इंटेलिजेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 215 करोड़ रुपए, 125 टीपीडी (टन प्रतिदिन) क्षमता की इंटीग्रेटेड स्लज मैनेजमेंट फैसिलिटी के लिए 479.25 करोड़ रुपए तथा इंटीग्रेटेड ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) और ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम (एएफसीएस) के लिए 331.03 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है।

इन परियोजनाएं के क्रियान्वयन के बाद अहमदाबाद शहर के सीवर नेटवर्क के रिहैबिलिटेशन से सीवर ओवरफ्लो और लीकेज जैसी समस्याओं में उल्लेखनीय कमी आएगी।

इतना ही नहीं, इससे समूचे सीवर और स्टॉर्म वाटर सिस्टम की रीयल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग और स्मार्ट संचालन संभव हो पाएगा। साथ ही, सीवर के स्लज (अपशिष्ट कीचड़) से बायोगैस और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन से पर्यावरण-अनुकूल एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। इंटीग्रेटेड ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम के कारण अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस (एएमटीएस), बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड और कॉमन जर्नी एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों आसान यात्रा सेवा, सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी सटीक और रीयल-टाइम जानकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके रूट का बेहतर आयोजन तथा आधुनिक इन-बस सर्विलांस के द्वारा एन्हांस इंसिडेंट मैनेजमेंट के साथ सुरक्षित सफर की सुविधा मिलेगी।

इन परियोजनाओं के जरिए अहमदाबाद को अधिक स्मार्ट, स्वच्छ, लचीला और वैश्विक मानकों का शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। साथ ही, कुशल, टिकाऊ और भविष्य-उन्मुख शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा और नागरिकों को अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त होंगी।

अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत मिली इस स्वीकृति से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नागरिक-केंद्रित, तकनीक-आधारित और टिकाऊ शहरी विकास का विजन और भी मजबूत होगा।

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा देश के शहरों को बाजार-आधारित ऋण एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अर्बन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। यह फंड पांच वर्षों के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता बाजार-आधारित शहरी बदलाव के लिए देगा।

इस योजना के तहत क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, सिटीज एज ग्रोथ हब और वाटर एंड सैनिटेशन सहित कुल तीन वर्टिकल्स पर परियोजनाओं का काम किया जा सकता है।

गुजरात को अर्बन चैलेंज फंड के तहत 6475 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। जिससे राज्य के शहरों में कुल 25 हजार 900 करोड़ रुपए की राशि के कार्य किए जा सकते हैं। इस फंड के तहत परियोजना लागत की 25 फीसदी राशि केंद्र सरकार की सहायता के रूप में प्राप्त होगी। वहीं, 25 फीसदी राशि राज्य सरकार की सहायता के रूप में उपलब्ध होगी, जबकि शेष 50 फीसदी राशि म्युनिसिपल बॉन्ड, ऋण या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए जुटानी होगी।

तदनुसार, अहमदाबाद महानगर पालिका को इन 6 परियोजनाओं के लिए 679.95 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता तथा 679.95 करोड़ रुपए की राज्य सरकार की सहायता मिलेगी, बाकी राशि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऋण के जरिए हासिल करेगा।

शामली से विपक्ष पर योगी का बड़ा हमला : बोले— 'सपा कांग्रेस जिन्ना की उपासक', विकास, कानून-व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

शामली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शामली दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस को "जिन्ना की उपासक पार्टियां" बताया। उन्होंने कहा कि जहां उनकी सरकार विकास, सुशासन, किसानों के हित और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, वहीं विपक्ष जनता को गुमराह करने और समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी शामली में 581 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली 89 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए की।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार के पिछले वर्षों के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान कानून-व्यवस्था की समस्याओं, अपराध, पलायन और अव्यवस्थित विकास के कारण होती थी। उनका दावा था कि उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोग असुरक्षा के कारण अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर थे और धार्मिक आयोजनों तथा कांवड़ यात्रा जैसी परंपराओं के आयोजन में भी अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती थीं। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में सरकार ने कानून-व्यवस्था को मजबूत किया है, जिसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बना है और विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शामली और कैराना जैसे क्षेत्रों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जिन इलाकों की कभी पहचान अपराध और पलायन से होती थी, आज वहां आधुनिक सड़कें, बेहतर बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, औद्योगिक विकास और निवेश के नए अवसर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक जिले तक विकास पहुंचाना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस परिवर्तन का प्रमुख उदाहरण बनकर उभरा है।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकसित हो रहे एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे, शामली-अंबाला एक्सप्रेस-वे और प्रस्तावित गोरखपुर-शामली एक्सप्रेस-वे जैसे बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से शामली का संपर्क देश के प्रमुख शहरों से और मजबूत होगा। उनके अनुसार, इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शामली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सबसे तेजी से विकसित होने वाले और समृद्ध जिलों में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से उद्योग, व्यापार, कृषि और पर्यटन सभी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

अहमदाबाद मंडल के डीआरएम ने iCreate का किया दौरा, स्टार्टअप्स से भारतीय रेल के लिए नवाचार विकसित करने का किया आह्वान

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश ने आज 17.07.2026 को देव धोलेरा (अहमदाबाद) स्थित iCreate (International Centre for Entrepreneurship and Technology) का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (Sr. DSC) श्री अंशुमान राम त्रिपाठी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr. DCM) श्री अन्नू त्यागी तथा मंडल के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने iCreate की नवाचार-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल, इनक्यूबेशन इकोसिस्टम, प्रोटोटाइप विकास सुविधाओं तथा विभिन्न डीप-टेक स्टार्टअप्स द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीकों का अवलोकन किया। स्टार्टअप्स के साथ भारतीय रेल में तकनीकी नवाचारों के उपयोग एवं संभावित सहयोग के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा भी हुई।

स्टार्टअप्स, नवाचारकर्ताओं एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने कहा कि भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है, जहाँ परिचालन, सुरक्षा, रखरखाव, स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार की व्यापक संभावनाएँ हैं। उन्होंने युवाओं से रेलवे की वास्तविक आवश्यकताओं को समझते हुए व्यवहारिक, किफायती एवं तकनीक-आधारित समाधान विकसित करने का आह्वान किया।

उन्होंने विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में नवाचार विकसित करने का सुझाव दिया—

▸▸ माल वैगनों के लिए स्वचालित (Automatic) लोडिंग एवं अनलोडिंग प्रणाली।

▸▸ रेलवे परिसरों एवं कोचों के लिए उन्नत अग्नि सुरक्षा समाधान तथा फायर सेफ्टी बॉल।

▸▸ ट्रैक, पुलों, ओएचई एवं अन्य रेल परिसंपत्तियों के निरीक्षण हेतु ड्रोन आधारित तकनीक।

▸▸ एआई आधारित सुरक्षा एवं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस समाधान।

▸▸ स्टेशनों, यार्डों एवं रेलवे परिसरों की सफाई के लिए आधुनिक इलेक्ट्रिक क्लीनिंग मशीनें।

▸▸ रेलवे में उपयोग होने वाले उपकरणों एवं इलेक्ट्रिक मशीनों के लिए वायरलेस चार्जिंग प्रणाली।

▸▸ परिचालन दक्षता, ऊर्जा संरक्षण तथा संसाधनों के स्मार्ट प्रबंधन से जुड़े अन्य नवाचार। डीआरएम ने कहा कि रेलवे और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच मजबूत सहयोग से ऐसे स्वदेशी समाधान विकसित किए जा सकते हैं, जो भारतीय रेल की परिचालन दक्षता, सुरक्षा, स्वच्छता, ऊर्जा दक्षता तथा यात्री सुविधाओं को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। उन्होंने कहा कि नवाचार ही भविष्य की रेल व्यवस्था का आधार है और युवाओं के नए विचार भारत की रेल प्रणाली को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित एवं विश्वस्तरीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दौरे के समापन पर प्रतिनिधिमंडल ने iCreate परिसर का भ्रमण कर इनक्यूबेशन सेंटर, प्रोटोटाइपिंग प्रयोगशालाओं एवं स्टार्टअप सहायता अवसंरचना का अवलोकन किया। इस दौरान भारतीय रेल एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच भविष्य में अनुसंधान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।

सूरत की खाड़ी में आई बाढ़ से 30 कपड़ा बाजार जलमग्न, करोड़ों के नुकसान के बाद राहत पैकेज की मांग

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

सूरत में हर साल आने वाली बाढ़ से जान-माल का भारी नुकसान होता है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इस समस्या का कोई निर्णायक और स्थायी समाधान नहीं निकाला है। इस साल भी लिंबायत और उधना क्षेत्रों में नाले के किनारे बाढ़ का पानी भर गया। लेकिन इस साल 7 जुलाई को बेमौसम बारिश के कारण शहर में भीषण बाढ़ आई। खासकर, शॉपिंग सेंटरों और कपड़ा बाजारों के तहखानों में पानी घुस गया, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। सूरत, जो वैश्विक स्तर पर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, में पहली बार बारिश के कारण आई बाढ़ से लगभग 30 बाजारों के तहखाने पानी में डूब गए।

डबल बेसमेंट पार्किंग वाले बाजारों से बारिश का पानी निकालने में एक सप्ताह से अधिक समय लग गया है। इस दौरान बाजारों में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अनुमान है कि लिफ्ट से लेकर वायरिंग और अग्निशमन उपकरणों तक, प्रत्येक बाजार को औसतन 20 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

इस स्थिति में, यह भी पता चला है कि संचालक अब राज्य सरकार से राहत पैकेज में कपड़ा बाजार को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए, यह देखना बाकी है कि कपड़ा उद्योग को हुए नुकसान के प्रति यह तथाकथित संवेदनशील सरकार कितनी संवेदनशील है।

गुजरात में अशांतधारा का नाम बदल गया है, अब 'निर्दिष्ट क्षेत्र' के अंतर्गत संपत्ति बिक्री के लिए नई प्रक्रिया लागू होगी

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

गुजरात सरकार ने अशांतधारा कानून के तहत एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब अशांतधारा के स्थान पर निर्दिष्ट क्षेत्र (निर्दिष्ट या विशिष्ट क्षेत्र) शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इन क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए एक निगरानी एवं सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की सलाह के आधार पर, सांप्रदायिक तनाव वाले और भविष्य में पलायन की संभावना वाले क्षेत्रों में इस कानून को लागू किया जाएगा। संपत्ति बिक्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कलेक्टर स्तर पर जांच की जाएगी। इसके लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा। जांच के बाद ही बिक्री की अनुमति दी जाएगी और यदि संपत्ति का अवैध हस्तांतरण हुआ है, तो उसे रद्द करने और छह महीने के भीतर राशि वापस करने तथा संपत्ति का कब्जा वापस लेने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत नियमों वाली अधिसूचना जारी की है। इस प्रकार, सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार, अशांतधारा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर निर्दिष्ट क्षेत्र (निर्दिष्ट या विशिष्ट क्षेत्र) शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा, सांप्रदायिक तनाव वाले या भविष्य में बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन की संभावना वाले क्षेत्रों को विशेष ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट क्षेत्र घोषित किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र को निर्दिष्ट क्षेत्र घोषित करने से पहले, एक विशेष निगरानी और सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। और केवल इसी समिति की सलाह और अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को निर्दिष्ट क्षेत्र घोषित करेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अंबाली के मार्ग पर अपनी गाड़ी रोककर बच्चों तथा ग्रामीणों से मुलाकात की

▸▸ निष्कलंक स्मित, आत्मीय संवाद एवं बड़े-बुजुर्ग जैसा स्नेह
▸▸ मुख्यमंत्री ने आणंद के अंबाली के ग्रामीणों के साथ हृदयस्पर्शी वार्तालाप की

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम के बाद गांधीनगर लौट रहे थे। उस समय जब मुख्यमंत्री का काफिला आणंद जिले के आंकलाव तहसील के अंबाली गांव के पास से गुजर रहा था, तब एक हृदयस्पर्शी दृश्य देखने को मिला। स्कूल की छुट्टी के बाद यूनिफॉर्म पहने मासूम बच्चे एवं स्थानीय ग्रामीण मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुकता से सड़क के किनारे खड़े थे। तभी मुख्यमंत्री की नजर इन बच्चों और ग्रामीणों पर पड़ी और उन्होंने बिना एक क्षण की भी देर किए अपनी गाड़ी तुरंत रुकवा दी।

मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल की सभी सीमाओं को एक ओर रखकर अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर सीधे बच्चों की ओर कदम बढ़ाए। गांव की धूलभरी सड़क पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर बच्चों के चेहरे आश्चर्य और खुशी से खिल उठे। मुख्यमंत्री ने बिना किसी औपचारिकता के बच्चों से बालसुलभ भाषा में संवाद किया और "किस स्कूल में पढ़ते हो?", "क्या पढ़ाई करते हो?" जैसे स्नेह भरे प्रश्न पूछकर उन्होंने बच्चों की पीठ थपथपाई और उन्हें पढ़-लिखकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि एक बड़े-बुजुर्ग के अपने बच्चों के प्रति स्नेह का एहसास कराने वाली थी।

बच्चों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित ग्रामीणों से भी अत्यंत आत्मीयता के साथ बातचीत की। "गांव में कोई परेशानी तो नहीं है?" ऐसा पूछकर उन्होंने प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत किया।

उन्होंने अभिभावकों से बलपूर्वक कहा कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों की शिक्षा से समझौता न करें और उन्हें अवश्य पढ़ाएं। मुख्यमंत्री की यह संवेदनशीलता और सामान्य नागरिकों के प्रति उनकी चिंता ग्रामीणों के हृदय को छू गई।

इस दौरान मुख्यमंत्री की नजर पास के एक घर में संचालित गोबर गैस प्लांट पर पड़ी। वे तुरंत प्लांट के मालिक विठ्ठलभाई परमार के पास पहुंचे और उनसे गोबर गैस प्लांट के उपयोग, उससे होने वाले लाभ तथा यह प्लांट कब से कार्यरत है, इस संबंध में गहराई से जानकारी प्राप्त की।

सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति एक सामान्य किसान से इतनी सहजता से बातचीत करे, यह दृश्य वास्तव में अद्वितीय था।

मुख्यमंत्री की इस अप्रत्याशित मुलाकात और उनके सरल स्वभाव से भावविभोर हुए विठ्ठलभाई ने गर्व के साथ कहा, "हमें तो सपने में भी नहीं लगा था कि राज्य के मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी रोककर हमारा हालचाल पूछने के लिए खड़े होंगे। यह हमारे और पूरे अंबाली गांव के लिए अत्यंत खुशी और गौरव का क्षण है।"मुख्यमंत्री की इस सहजता ने यह सिद्ध कर दिया कि जब शासन संवेदनशील होता है, तब लोकतंत्र सही मायनों में सार्थक बनता है।